मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 112 / 2025

1. पूरन सिंह पुत्र करतार सिंह जाति तरखान साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सरजीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति तरखान साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

ब ना म

1. मलकीत सिंह पुत्र करतार सिंह जाति तरखान साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जसविन्द्र कौर पुत्री करतार सिंह जाति तरखान साकिन 16 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 18/08/25

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि –

चक 16 पीबीएन के खाता सं. 97 के प.नं. 18 / 303,19 / 303 की कुल 9.488 हैक. नहरी म.गै. मु. मे से 949 / 4744 हिस्सा का वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। गुरदेव कौर का नाम कलमजन किया जाने के आदेश पारित किये जाते है शेष खाता यथावत रहेगा।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के [illegible] मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग [illegible] कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार [illegible] ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डि[illegible] आज दिनांक 18/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.24 12:50:13 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा